इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 329] भोपाल, बुधवार, दिनांक 18 जुलाई 2012—आषाढ़ 27, शक 1934

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 18 जुलाई 2012

क्र. 16284-वि.स.-विधान-2012.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 64 के उपबंधों के पालन में, मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 21 सन् 2012) जो विधान सभा में दिनांक 18 जुलाई, 2012 को पुर:स्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

राजकुमार पांडे, प्रमुख सचिव.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २१ सन् २०१२

मध्यप्रदेश कृषि-उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, २०१२

मध्यप्रदेश कृषि-उपज मण्डी अधिनियम, १९७२ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश कृषि-उपज मण्डी (संशोधन) अधिनियम, २०१२ है.

धारा १२ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश कृषि-उपज मण्डी अधिनियम, १९७२ (क्रमांक २४ सन् १९७३) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा १२ में,—

(एक) उपधारा (१) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

"(१) प्रत्येक मण्डी समिति का अध्यक्ष, उसके निर्वाचित सदस्यों द्वारा तथा उनमें से ऐसी रीति में जो कि विहित की जाए, निर्वाचित किया जाएगा, और ऐसा निर्वाचन धारा १३ की उपधारा (१) के अधीन बुलाए गए मण्डी समिति के प्रथम सम्मिलन में किया जाएगा :

परन्तु कोई भी व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में निर्वाचन के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह धारा ११-ख की उपधारा (२) तथा (३) के अधीन निर्वाचित होने के लिए अर्ह न हो.";

(दो) उपधारा (६) का लोप किया जाए;

(तीन) उपधारा (७) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

"(७) यदि कोई मण्डी समिति उपधारा (१) के अधीन, अध्यक्ष का निर्वाचन करने में असफल रहती है, तो उस पद को भरने के लिए मण्डी समिति का सम्मिलन बुलाने के लिए कलक्टर द्वारा नए सिरे से एक माह के भीतर कार्रवाई की जाएगी :

परन्तु इस कालावधि के दौरान, अध्यक्ष का निर्वाचन लंबित रहने तक मण्डी समिति के गठन की कार्यवाहियां रोकी नहीं जाएंगी :

परन्तु यह और कि इस उपधारा के अधीन अध्यक्ष का निर्वाचन लंबित रहने तक उपाध्यक्ष, अध्यक्ष के समस्त कृत्यों का निर्वहन करेगा.".

धारा १३ का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा १३ में, उपधारा (१) में, शब्द "अध्यक्ष और" का लोप किया जाए.

धारा १४ और १४-क का अन्त:स्थापन.

४. मूल अधिनियम की धारा १३ के पश्चात्, निम्नलिखित धाराएं अन्त:स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव.

"१४. (१) अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव उपधारा (२) के अधीन उस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से बुलाए गए सम्मिलन में प्रस्तुत किया जा सकेगा, और यदि ऐसा प्रस्ताव ऐसे बहुमत से, जो कि उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई से कम न हो, स्वीकृत हो जाए और यदि ऐसा बहुमत तत्समय मण्डी समिति का गठन करने वाले सदस्यों

की कुल संख्या के आधे से अधिक हो, तो यथास्थिति, ऐसा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जिसके कि विरुद्ध ऐसा प्रस्ताव पारित किया गया हो, उस तारीख से, जो उस तारीख के, जिसको कि ऐसा प्रस्ताव पारित किया गया हो, ठीक पश्चात् की हो, अपने पद पर नहीं रहेगा.

(२) उपधारा (१) के प्रयोजन के लिए मण्डी समिति का सम्मिलन निम्नलिखित रीति में किया जाएगा, अर्थात् :—

(एक) सम्मिलन, तत्समय मण्डी समिति का गठन करने वाले सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम पचास प्रतिशत सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित सूचना प्राप्त होने पर, सचिव द्वारा, उस तारीख से, जिसको कि अविश्वास प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई हो, तीस दिन के भीतर बुलाया जाएगा;

(दो) खण्ड (एक) में वर्णित सूचना कलक्टर को भी संबोधित की जाएगी और साथ ही साथ उसे परिदत्त भी की जाएगी और सचिव द्वारा खण्ड(एक) में उपबंधित किए गए अनुसार सम्मिलन बुलाने में चूक की जाने पर, सम्मिलन खण्ड (एक) में विनिर्दिष्ट तीस दिन की कालावधि का अवसान होने की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर, कलक्टर द्वारा बुलाया जाएगा और इस उपधारा के उपबंध कलक्टर द्वारा बुलाए गए सम्मिलन को उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार कि वे सचिव द्वारा बुलाए गए सम्मिलन को लागू होते हैं;

(तीन) ऐसे सम्मिलन की सूचना में सम्मिलन का समय तथा स्थान विनिर्दिष्ट किया जाएगा और वह सचिव द्वारा सम्मिलन की तारीख से कम से कम पूरे दस दिन के पूर्व प्रत्येक सदस्य को भेजी जाएगी. सूचना की एक प्रति खण्ड (चार) में यथा अपेक्षित अधिकारी की नियुक्ति के लिए कलक्टर को भेजी जाएगी और एक प्रति प्रबंध संचालक को भी भेजी जाएगी;

(चार) अध्यक्ष या उपाध्यक्ष उस सम्मिलन की अध्यक्षता नहीं करेगा, किन्तु ऐसे सम्मिलन की अध्यक्षता सरकार के ऐसे अधिकारी द्वारा की जाएगी जिसे कि कलक्टर इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे. तथापि, यथास्थिति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को उस सम्मिलन की कार्यवाहियों में बोलने तथा अन्यथा भाग लेने का अधिकार होगा.

(३) अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास का कोई प्रस्ताव,—

(एक) उस तारीख से, जिसको कि वह अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अपना-अपना पद धारण करते हों, एक वर्ष की कालावधि के भीतर;

(दो) उस तारीख से, जिसको यथास्थिति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की पदावधि का अवसान हो जाता है, पूर्ववर्ती छह मास की कालावधि के भीतर; और

(तीन) उस तारीख से, जिसको कि पूर्ववर्ती अविश्वास प्रस्ताव नामंजूर किया गया था, पुनर्विचार के लिए एक वर्ष की कालावधि के भीतर,

नहीं लिया जाएगा.

अविश्वास प्रस्ताव की विधिमान्यता का विनिश्चय.

१४-क. यदि, यथास्थिति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, धारा १४ के अधीन लाए गए प्रस्ताव की विधिमान्यता को चुनौती देने की वांछा करता है तो वह ऐसे प्रस्ताव के निपटारे के दिन से पन्द्रह दिन के भीतर, संभागीय आयुक्त को विहित रीति में विवाद निर्दिष्ट कर सकेगा. आयुक्त, यथासंभव, उस तारीख से, जिसको कि वह उसे प्राप्त हुआ था, पैंतालीस दिन के भीतर उसका विनिश्चय करेगा और उस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा.''.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

मध्यप्रदेश कृषि-उपज मण्डी अधिनियम, १९७२ (क्रमांक २४ सन् १९७३) की धारा १२ में मण्डी समिति के अध्यक्ष के प्रत्यक्ष निर्वाचन का उपबंध है. अनेक मण्डी समितियों के अध्यक्ष, मण्डी समिति के अध्यक्ष के प्रत्यक्ष निर्वाचन की रीति को अप्रत्यक्ष निर्वाचन में परिवर्तित करने की मांग इस कारण करते रहे हैं कि मण्डी समितियों के बड़े निर्वाचन क्षेत्रों में विस्तृत चुनाव प्रचार करना होता है जिसमें बहुत बड़ी धनराशि की आवश्यकता होती है साथ ही समय भी लगता है. अतएव, मूल अधिनियम की धारा १२ एवं १३ को यथोचित् रूप से संशोधित करने का विनिश्चिय किया गया है. धारा १४ को अंत: स्थापित करने का भी विनिश्चय किया गया है जिसमें कि मण्डी समितियों के अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव का उपबंध है. इस उपबंध का सन् १९९७ में लोप किया गया था. अब इसको धारा १४-क में अंतर्विष्ट एक नवीन उपबंध, जो अविश्वास प्रस्ताव की विधिमान्यता पर विनिश्चय का है, के साथ पुन:स्थापित किया गया है.

२. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख ११ जुलाई २०१२.

डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया
भारसाधक सदस्य.

प्रत्यायोजित विधि निर्माण के संबंध में ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक के जिन खण्डों के द्वारा राज्य सरकार को विधायनी शक्तियों का प्रत्यायोजन किया जा रहा है, उनका विवरण निम्नानुसार है :—

खण्ड १. १२(एक) : मण्डी अध्यक्ष के निर्वाचन हेतु रीति विहित किए जाने; तथा

खण्ड २. १४-क : अविश्वास प्रस्ताव की विधिमान्यता के विवाद पर विनिश्चय करने के लिये रीति विहित किए जाने;

के संबंध में नियम बनाए जायेंगे, जो सामान्य स्वरूप के होंगे.

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.

इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 335] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 19 जुलाई 2012—आषाढ़ 28, शक 1934

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 19 जुलाई 2012

क्र. 4343-239-इक्कीस-अ-(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 21 सन् 2012) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH BILL

No. 21 OF 2012

THE MADHYA PRADESH KRISHI UPAJ MANDI (SANSHODHAN) VIDHEYAK, 2012

A Bill further to amend the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the sixty-third year of the Republic of India as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi (Sanshodhan) Adhiniyam, 2012.

Amendment of Section 12.

2. In Section 12 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973) (hereinafter referred to as the principal Act),—

(i) for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely :—

"(1) The Chairman of every Market Committee shall be elected by and from amongst the elected members thereof in such manner as may be prescribed and such election shall be conducted in the first meeting of the Market Committee, convened under sub-section (1) of Section 13:

Provided that no person shall be eligible for the election of Chairman unless he is qualified to be elected under sub-section (2) and (3) of Section 11B.";

(ii) sub-section (6) shall be deleted;

(iii) for sub-section (7), the following sub-section shall be substituted, namely:—

"(7) If any Market Committee fails to elect a Chairman under sub-section (1), then to fill that office action shall be taken afresh by the Collector within one month for calling the meeting of the Market Committee:

Provided that during this period proceedings for constituting the Market Committee shall not be stayed pending the election of Chairman:

Provided further that pending the election of Chairman under this sub-section the Vice-Chairman shall discharge all functions of the Chairman.".

Amendment of Section 13.

3. In Section 13 of the principal Act, in sub-section (1), the words "Chairman and" shall be omitted.

Insertion of Section 14 and 14-A.

4. After Section 13 of the principal Act, the following Sections shall be inserted, namely:—

No confidence motion against Chairman or Vice-Chairman.

"14. (1) A motion of no confidence may be moved against the Chairman or the Vice-Chairman at a meeting specially convened for the purpose under sub-section (2) and if the motion is carried by a majority of not less than two third of the members present and voting and if such majority is more than one half of the total number of members constituting the Market Committee for the time being, the Chairman or Vice-Chairman, as the case may be, against whom such motion is passed, shall cease to hold his office with effect from the date immediately after the date on which such motion is passed.

(2) For the purpose of sub-section (1), a meeting of the Market Committee shall be held in the following manner, namely:—

(i) The meeting shall be convened by the Secretary, on a notice signed by not less than fifty percent of the total number of members constituting the Market Committee for the time being, within thirty days from the date of the receipt of the notice of motion of no confidence;

(ii) The notice mentioned in clause (i) shall also be addressed and simultaneously delivered to the Collector and on failure of the Secretary to convene the meeting as provided in clause (i), the meeting shall be convened by the Collector within fifteen days from the date of expiration of the period of thirty days specified in clause (i) and the provisions of this sub-section shall apply to meeting convened by the Collector as they apply to meeting convened by the Secretary;

(iii) The notice of such a meeting shall specify the date, time and place thereof and shall be dispatched by the Secretary to every member at least ten clear days in advance of the date of meeting. A copy of the notice shall be sent to Collector for appointment of an officer as required in clause (iv) and a copy shall also be sent to the Managing Director;

(iv) The Chairman or Vice-Chairman shall not preside over the Meeting, but such meeting shall be presided over by an officer of the Government as the Collector may appoint for the purpose, However, the Chirman or Vice-Chairman, as the case may be, shall have a right to speak and otherwise to take part in the proceeding of the meeting.

(3) No confidence motion shall not be taken up against the Chairman or Vice-Chairman within the period of—

(i) one year from the date on which the Chairman or Vice-Chairman holds the respective office;

(ii) six months preceding the date on which the term of office of the Chairman or Vice-Chairman, as the case may be, expires; and

(iii) one year, for reconsideration, from the date on which previous motion of no-confidence was disposed of.

Decision on validity of no confidence motion.

14.-A. In case the Chairman or Vice-Chairman, as the case may be, desires to challenge the validity of the motion carried out under Section 14, he may, within fifteen day from the disposal of such motion, refer the dispute in the prescribed manner to the Divisional Commissioner. The Commissioner shall decide it, as for as possible, within forty-five days from the date on which it was received by him and his decision thereon shall be final.''.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Section 12 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973) provides for direct election of Chairman of Market Committee. Chairman of various market committees have been demanding to change the method of direct election of Chairman of Market Committee to indirect election due to the reason of elaborate election campaigning in the large constituencies of market committes which requires huge money as well as consumes time. Therefore, it is decided to amend Section 12 and 13 of the Principal Act suitably. It is a so decided to insert Section 14 which is having the provision of no confidence motion against Chairman or Vice-Chairman of Market Committees. This provision was omitted in the year 1997, now it is reproduced alongwith a new provision contained in Section 14-A which provides for decision on validity of no confidence motion.

2. Hence this Bill.

Bhopal :
Dated the 11th July 2012.

Dr. RAMKRISHNA KUSMARIYA
Member-in-Charge.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.